

संस्थापन के अन्तर्गत सम्पादित कार्य

1. स्वीकृत पदों की स्थिति 01.01.2010 :-

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद
1.	निदेशक (I.A.S.)	01
2.	मुख्यलेखाधिकारी (CAO)	01
3.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) (R.A.S.)	01
4.	प्राचार्य / संयुक्त निदेशक	05
5.	उप निदेशक / समकक्ष	17
6.	जिला शिक्षा अधिकारी / समकक्ष	50
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1
8.	एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर	1
9.	निजी सचिव	1
10.	प्रधानाचार्य / समकक्ष	3186
11.	सहायक विधि परामर्शी	1
12.	लेखाधिकारी	2
13.	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी / समकक्ष	94
14.	उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) / समकक्ष	34
15.	वरिष्ठ निजी सहायक	2
16.	मुख्य विधि सहायक	2
17.	सहायक लेखाधिकारी	73
18.	प्रधानाध्यापक / समकक्ष	6305
19.	व्याख्याता / समकक्ष	19575
20.	व्याख्याता (शा.शि.) / समकक्ष	242
21.	पुस्तकालयाध्यक्ष - I	40
22.	वरिष्ठ अध्यापक- II / समकक्ष	37438
23.	लेखाकार	5
24.	पुस्तकालयाध्यक्ष - II / समकक्ष	1115
25.	शारीरिक शिक्षक - II / समकक्ष	1597
26.	प्रयोगशाला सहायक - II	460
27.	अध्यापक- III / समकक्ष	12583
28.	शारीरिक शिक्षक - III / समकक्ष	3315
29.	प्रयोगशाला सहायक - III	1620
30.	पुस्तकालयाध्यक्ष - III / समकक्ष	2131
31.	निजी सहायक	12
32.	कनिष्ठ लेखाकार	94
33.	आशुलिपिक	36
34.	विधि सहायक	21
35.	सांख्यिकी निरीक्षक / सहायक	39
36.	कार्यालय अधीक्षक / समकक्ष	43
37.	कार्यालय सहायक	855

38.	वरिष्ठ लिपिक / समकक्ष	5906
39.	कनिष्ठ लिपिक / समकक्ष	5451
40.	वाहन चालक	27
41.	जमादार / समकक्ष	1013
42.	सहायक कर्मचारी / समकक्ष	13818
43.	प्रयोगशाला सेवक	1487

2. शिक्षक वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति दिनांक : 01.01.2009

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत	रिक्त
1.	प्रधानाचार्य एवं समकक्ष	3186	159
2.	प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष	6305	1693
3.	व्याख्याता / समकक्ष	19575	7694
4.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-1 / समकक्ष	242	56
5.	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-1A / समकक्ष	37438	8310
6.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-1B / समकक्ष	1597	375
7.	अध्यापक ग्रेड-1C / समकक्ष	12583	2724
8.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-1D / समकक्ष	3315	153

संस्थापन विवरण

डी.पी.सी./ पदोन्नतियां :

- व्याख्याता विषय इतिहास(पुरुष)की वर्ष 2004-05 की डीपीसी सम्पादित करवाई जाकर 76 आशार्थियों का चयन किया गया।
- व्याख्याता विषय सिंधी(पुरुष) की वर्ष 2004-05 की डीपीसी सम्पादित करवाई जाकर 02 आशार्थियों का चयन किया गया।
- व्याख्याता विषय शारीरिक शिक्षा की वर्ष 2003-2008 तक की डीपीसी सम्पादित करवाई गई।
- उप जिला शिक्षा अधिकारी(शाशि) की वर्ष 2008-09 तक की डीपीसी दिनांक 04.07.2009 को 11 पदों की एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी(शाशि) की वर्ष 2009-10 की डीपीसी दिनांक 11.09.2009 को 12 पदों की सम्पादित करवाई गई।
- ब.उप जिला शिक्षा अधिकारी की वर्ष 2001-02 तक की डीपीसी दिनांक 19.08.2009 को 226 पदों की एवं वर्ष 2002-03 की डीपीसी दिनांक 12.12.2009 को 126 पदों की सम्पादित करवाई गई।
- प्रधानाचार्य की वर्ष 2002-03 की डीपीसी दिनांक 11.09.2009 को 101 पदों की सम्पादित करवाई गई।

विभाग में अबतक सम्पादित एव बकाया डीपीसी की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	संवर्ग का नाम	डी.पी.सी.का वर्ष	
1-	अतिरिक्त निदेशक	2009-2010	
2-	संयुक्त निदेशक / समकक्ष	2009-2010	
3-	उप निदेशक / समकक्ष	2009-2010	
4-	जि.शि.अ. / समकक्ष	2009-2010	
5-	प्रधानाचार्य / समकक्ष	2002-2003	
6-	वरि.उप.जि.शि.अधिकारी / समकक्ष	2002-2003	
7-	उप.जि.शि.अधिकारी(शा.शि)	2009-2010	
8-	प्रधानाध्यापक	2002-2003	
9-	व्याख्याता:- विषयवार	पुरुष	महिला
	1- हिन्दी	2000-2001	2002-2003
	2-अंग्रेजी	2000-2001	2001-2002
	3-संस्कृत	2001-2002	2002-2003
	4-उर्दू	2004-2005	2003-2004
	5-सिंधी	2004-2005	2001-2002
	6-पंजाबी	2002-2003	1998-1999
	7-राजस्थानी	2004-2005	2001-2002
	8-समाज शास्त्र	2003-2004	2003-2004
	9-इतिहास	2004-2005	2002-2003
	10-रा0 शास्त्र	2001-2002	2003-2004
	11-भूगोल	2001-2002	2001-2002
	12-अर्थशास्त्र (रिव्यू)	2001-2002	2002-2003
	13-लोक प्रशासन	2005-2006	--
	14-शा0 शिक्षक	2002-2003	2003-2004
	15-गृहविज्ञान	--	2000-2001
	16-पुस्तकालयाध्यक्ष	2002-2003	--
	17-एस.डी.आई.	1997-1998	1997-1998
	18-भौतिक	2001-2002	2000-2001
	19-रसायन	2002-2003	2001-2002
	20-गणित	2001-2002	1997-1998
	21-जीव विज्ञान	1999-2000	1995-1996
	22-वाणिज्य	2001-2002	2002-2003
	23-चित्रकला	1990-1991	1990-1991
	24-संगीत	1996-1997	1996-1997
	25-कृषि	1980-1981	--

नोट: - आगों के वर्षों की डीपीसी हेतु निम्नांकित विषयों के प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किये गये हैं:

1.शाशि(पुरुष), 2.शाशि(महिला), 3. अर्थशास्त्र(पुरुष)(रिव्यू)

- निम्नांकित पदों के वर्ष 2008-09 की डीपीसी हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं:

1.अति.निदेशक-शिक्षा, 2.सुयुक्त निदेशक, 3. उप निदेशक, 4.जिला शिक्षा अधिकारी समकक्ष इसके

अतिरिक्त अन्य पदों के लिए भी डीपीसी की तैयारी की जा रही है।

मंडलवार डी.पी.सी. की स्थिति :-

क्र.सं.	मण्डल	सेटअप	व.अध्यापक	शा. शिक्षा- II	पु. अध्यक्ष- II	का.सहायक	वरिष्ठ लिपिक
1.	जयपुर	पुरुष महिला	2005-2006 2005-2006	2006-2007 2005-2006	2001-2002	2005-06	2005-06
2.	जोधपुर	पुरुष महिला	2005-2006 2005-2006	2005-2006 2005-2006	1998-1999	2004-05	2004-05
3.	चूरु	पुरुष महिला	2005-2006 2005-2006	2005-2006 2005-2006	1999-2000	2007-08	2007-08
4.	उदयपुर	पुरुष महिला	2005-2006 2005-2006	2005-2006 2005-2006	2005-2006	2005-06	2005-06
5.	कोटा	पुरुष महिला	2005-2006 2005-2006	2006-2007 2006-2007	2006-2007	2006-07	2006-07
6.	अजमेर	पुरुष महिला	2005-2006 2005-2006	2006-2007 2006-2007	2001-2002	2007-08	2004-05

नोट:-मण्डल स्तर पर चूरु मण्डल में क.लि. से व.लि. पद हेतु डीपीसी कार्य सम्पादित करवाया गया।

व्याख्याता (स्कूल शिक्षा):— 18 विषयों के 1407 पदों हेतु आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी। इन 18 विषयों में से निम्नांकित विषयों के आशार्थियों का आयोग द्वारा चयन किया जाकर विभाग को नियुक्ति हेतु नाम अभिस्तावित किये गये। अगस्त, 2007 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 1310 विषय व्याख्याताओं का पदस्थान रिक्त पदों पर किया जा चुका है:— 1. वाणिज्य 2. गणित 3. राजस्थानी 4. उर्दू 5. संगीत 6. पंजाबी 7. संस्कृत 8. राजनीति विज्ञान 9. समाज शास्त्र 10. लोक प्रशासन 11. अर्थशास्त्र 12. इतिहास, 13. भूगोल, 14. चित्रकला 15. गृह विज्ञान, 16. अंग्रेजी एवं 17. हिन्दी

वर्ष 2005—06 में सीधी भर्ती के उपलब्ध 756 विषय व्याख्याताओं के रिक्त पदों को आयोग से भरने की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी है जिनमें से विभाग द्वारा 651 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को अर्थना प्रेषित की जा चुकी है।

वरिष्ठ अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षक (द्वितीय वेतन श्रृंखला):—

सीधी भर्ती: दिसम्बर, 2003 से 31.03.2008 तक सीधी भर्ती द्वारा 2360 आशार्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई।

वर्ष 2000—01 के 590 पदों के विरुद्ध 510 वरिष्ठ अध्यापकों को वर्ष 2006—07 में नियुक्ति प्रदान की गई।

वर्ष 2006—07 के लिए 2500 वरिष्ठ अध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भिजवाई जा चुकी है।

शारीरिक शिक्षक (तृतीय वेतन श्रृंखला) :— वर्ष 2004—05 में शारीरिक शिक्षक (तृतीय वेतन श्रृंखला) पद पर 284 आशार्थियों को नियुक्ति प्रदान की।

अध्यापक (तृतीय श्रेणी) के रिक्त पदों की पूर्ति:— अध्यापक ग्रेड—III के रिक्त पदों पर आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा 2122 शिक्षक उपलब्ध करवाए जाने पर रिक्त पदों की पूर्ति की गई तथा रिक्त 2179 पदों पर अध्यापक उपलब्ध कराए जाने हेतु आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा को निवेदन किया गया है।

दिवंगत राज्य कर्मचारी आश्रित नियुक्तियों

वर्ष	क.लि.	शा.शि.	प्र.शा.से.	पु.अ.	प्र.शा.सहा.	च.श्रे.क.
1995	194	--	34	--	--	118
1996	241	--	17	--	--	87
1997	117	--	01	--	--	71
1998	113	3	--	--	--	119
1999	237	--	--	--	--	184
2000	209	2	--	--	--	202
2001	296	--	--	--	--	228
2002	268	--	--	--	--	191
2003	201	3	--	--	--	180
2004	398	9	--	2	1	256
2005	204	2	--	--	4	156
2006	192	3	--	--	6	189
2007	228	2	--	--	--	160
2008	151	--	--	--	--	118

वरिष्ठता सूची का प्रकाशन :

राज्य स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय विभिन्न पदों की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन विभाग द्वारा करके उन्हें लोकसेवकों के अवलोकनार्थ मण्डल एवं जिला कार्यालयों को प्रेषित की जाती है। राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्थाई	अस्थाई
1	प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (महिला/पुरुष)	1995-1996	1998-1999
2	उप प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (महिला/पुरुष)	--	1998-1999
3	प्र.अ.मावि. एवं समकक्ष पद (महिला/पुरुष)	1995-1996	1997-1998
4	उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि)	--	1984-1986
5	व्याख्याता पुरुष	1981-1983	1994-1996
6	व्याख्याता महिला	1971-1981	1994-1996
7	कोच	--	1975-1995
8	पुस्तकालयाध्यक्ष-।	1991-1997	--
9	पुस्तकालयाध्यक्ष-।।(रिव्यु)	1974-1994	--
10	वरिष्ठ अध्यापक -।।(पुरुष)	1996-1997	--
11	वरिष्ठ अध्यापक -।।(महिला)	1992-1995	--
12	वरिष्ठ निजी सहायक	1997-1998	--
13	निजी सहायक	1995-1996	--
14	आशुलिपिक	1995-1996	--
15	कार्यालय अधीक्षक	1991-1992	--

मण्डल स्तर पर वरिष्ठता की स्थिति

क्र.सं.	मण्डल का नाम	महिला/पुरुष	वरिष्ठ अध्यापक		पुस्तकालयाध्यक्ष	
			स्थाई	अस्थाई	स्थाई	अस्थाई
1	जयपुर	पुरुष	1996-1997	1998-1999	1989-1996	--
		महिला	1994-1995	2000-2001	--	--
2	अजमेर	पुरुष	1995-1997	--	1995-1996	1996-1998
		महिला	1996-1997	--	--	--
3	उदयपुर	पुरुष	1996-1997	--	1996-1997	--
		महिला	1996-1997	--	--	--
4	कोटा	पुरुष	1996-1997	1997-1998	1996-1997	--
		महिला	1996-1997	1997-1998	--	--
5	जोधपुर	पुरुष	1996-1997	--	1995-1996	1997-1998
		महिला	1991-1995	--	--	--
6	चूरु	पुरुष	1992-1995	1995-1997	1995-1997	--
		महिला	1994-1995	--	--	--
7	भरतपुर	पुरुष महिला	नव सृजित मण्डल			

4. नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां :

(i) वर्ष 2009-2010 में प्रधानाचार्य पद की वर्ष 2002-03 के 101 पदों की डीपीसी कराई गई तथा वरि. उप.जि.शि.अ. की वर्ष 2001-02 की 226, वर्ष 2002-03 की 126 एवं उप. जि.शि.अ.(शा.शि) की वर्ष 2008-09 की 11 एवं 2009-10 की 12 पदों की डीपीसी सम्पादित करवाई गई। प्रधानाध्यापक (मावि) के 1265 पदों की सीधी भर्ती की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को प्रेषित की गई। व्याख्याता के पदों पर 210 आशार्थियों का डीपीसी से चयन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से सीधी भर्ती द्वारा चयनित 1310 आशार्थियों को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 510 आशार्थियों की सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रदान की गई एवं वर्ष 2007-08 तक की तदर्थ पदोन्नति कर रिक्त पदों की पूर्ति की गई।

(ii) शैक्षिक व्यवस्था/विद्यार्थी मित्र योजना

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्ष 2007-08 में शैक्षिक व्यवस्था एवं विद्यार्थी मित्र योजना लागू की गई। इसके अनुसार शैक्षिक व्यवस्था के तहत 7029 शिक्षकों की शैक्षिक व्यवस्था की गई। सेवानिवृत्त अध्यापकों को निश्चित मानदेय के आधार पर एवं तत्पश्चात् योग्ताधारी प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित आशार्थियों को भी निश्चित मानदेय एवं निश्चित अवधि तक के लिए संविदा पर 5884 आशार्थियों को लगा कर शिक्षण व्यवस्था सुदृढ करने का प्रयास किया गया।

5. वरिष्ठता सूची का प्रकाशन :

राज्य स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय विभिन्न पदों की वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन विभाग द्वारा करके उन्हें लोकसेवकों के अवलोकनार्थ मण्डल एवं जिला कार्यालयों को प्रेषित की जाती है। राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्थाई	अस्थाई
16	प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (महिला/पुरुष)	1995-1996	1998-1999
17	उप प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (महिला/पुरुष)	--	1998-1999
18	प्र.अ.मावि. एवं समकक्ष पद (महिला/पुरुष)	1995-1996	1997-1998
19	उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि)	--	1984-1986
20	व्याख्याता पुरुष	1981-1983	1994-1996
21	व्याख्याता महिला	1971-1981	1994-1996
22	कोच	--	1975-1995
23	पुस्तकालयाध्यक्ष- I	1991-1997	--
24	पुस्तकालयाध्यक्ष- II (रिव्यु)	1974-1994	--
25	वरिष्ठ अध्यापक - II (पुरुष)	1996-1997	--
26	वरिष्ठ अध्यापक - II (महिला)	1992-1995	--
27	वरिष्ठ निजी सहायक	1997-1998	--
28	निजी सहायक	1995-1996	--
29	आशुलिपिक	1995-1996	--
30	कार्यालय अधीक्षक	1991-1992	--

मण्डल स्तर पर वरिष्ठता की स्थिति

क्रं.सं.	मण्डल का नाम	महिला/पुरुष	वरिष्ठ अध्यापक		पुस्तकालयाध्यक्ष	
			स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
1	जयपुर	पुरुष	1996-1997	1998-1999	1989-1996	--
		महिला	1994-1995	2000-2001	--	--
2	अजमेर	पुरुष	1995-1997	--	1995-1996	1996-1998
		महिला	1996-1997	--	--	--
3	उदयपुर	पुरुष	1996-1997	--	1996-1997	--
		महिला	1996-1997	--	--	--
4	कोटा	पुरुष	1996-1997	1997-1998	1996-1997	--
		महिला	1996-1997	1997-1998	--	--
5	जोधपुर	पुरुष	1996-1997	--	1995-1996	1997-1998
		महिला	1991-1995	--	--	--
6	चूरु	पुरुष	1992-1995	1995-1997	1995-1997	--
		महिला	1994-1995	--	--	--
7	भरतपुर	पुरुष महिला	नव सृजित मण्डल			

6. मृत राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति :

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को समय-समय पर राजकीय नियमानुसार नियुक्तियाँ प्रदान की जाती रही हैं। वर्ष 2007-2008 में 228 कनिष्ठ लिपिक तथा 160 चतुर्थ श्रेणी एवं एक शा.शि. के रिक्त पदों पर आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गई।

7. भवन निर्माण एवं मरम्मत व्यय :

- प्रतिवर्ष राजकीय विद्यालय/ कार्यालय भवनों की मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2007-2008 में राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से 85,21,400/- लाख रुपये निम्नानुसार अधीनस्थ कार्यालय एवं विद्यालयों को आवंटित किये गये। इससे निम्नांकित संस्थाएं लाभान्वित हुई :-

1.	रा.उ.मा.विद्यालय	33
2.	बा.उ.मा.वि.	07
3.	रा.मा.वि./बा.मा.वि.	39
4.	कार्यालय व अन्य	05
	<u>योग</u>	<u>84</u>

2. 12वें वित्त आयोग :

12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 1997 से पूर्व के निर्मित 209 राजकीय भवनों की मरम्मत हेतु रुपये 889.68 लाख का पूर्ण उपयोग। राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित।

3. नाबार्ड पोषित योजना :

I.R.F. 12 नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के क्रम में विद्यालयों में 1374 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 725 कक्षा कक्ष 714 वाटर टैंक, 1043 शौचालय एवं 551 रेम्प कुल 3033 कार्य स्वीकृत किये गये इनमें से 695 कक्षा कक्ष, 626 वाटर टैंक, 960 शौचालय व 503 रेम्प कुल 2784 कार्य पूर्ण किये गये। उपरोक्त कार्यों पर रुपये 2485.72 लाख आवंटित किये गये जिसमें से रुपये 2353.15 लाख व्यय हुए। इनमें से 22 कक्षा कक्ष, 79 वाटर टैंक, 44 शौचालय एवं 44 रेम्प कुल 189 कार्य समर्पित किये गये। शेष कार्य जिसमें 8 कक्षा कक्ष, 09 वाटर टैंक, 10 शौचालय एवं 04 रेम्प कुल 31 कार्य प्रगति पर हैं। भुगतान कार्य प्रक्रियाधीन है।

I.R.F. 13 नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के क्रम में विद्यालयों में 434 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 616 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 143 कम्प्यूटर लेब, 125 पानी की टंकी, 158 शौचालय एवं 121 रेम्प कुल 1163 कार्यों हेतु रुपये 2500.73 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

10. रिक्त पदों की पूर्ति :-

व्याख्याता (स्कूल शिक्षा):-

विभिन्न विषयों की लम्बित रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 31.12.2007 तक 3171 (वर्ष 2003-04 में 1668, वर्ष 2004-05 में 412, 2005-06 में 756, 2006-07 में 210 एवं 2007-08 में 125 कुल 3171) आशार्थियों का डीपीसी से चयनोपरान्त पदस्थापन किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् रिक्त पदों को भरने हेतु 1019 व्याख्याताओं की तदर्थ पदोन्नति की गई।

वर्ष 2005-06 में सीधी भर्ती के उपलब्ध 756+868=1624 विषय व्याख्याताओं के रिक्त पदों को आयोग से भरने की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी है जिनमें से विभाग द्वारा 1624 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को क्रमशः 4.11.08 एवं 18.12.08 को अर्थना प्रेषित की जा चुकी है।

क्र.सं.	विषय	डीपीसी वर्ष	कुल रिक्त पदों की संख्या
1	हिन्दी पुरुष	2001-02	353
		2002-03	65
		2003-04	77
		2004-05	15
		2005-06	180
		2006-07	47
2	अंग्रेजी पुरुष	2001-02	116
		2002-03	63
		2003-04	76
		2004-05	11
		2005-06	0
		2006-07	62
3	इतिहास पुरुष	2005-06	137
		2006-07	39

4	राजनीति विज्ञान पुरुष	2002-03	153
		2003-04	144
		2004-05	01
		2005-06	180
		2006-07	17
5	संस्कृत पुरुष	2002-03	49
		2003-04	50
6	गुजराती पुरुष	2002-03	01
7	जीव विज्ञान पुरुष	2000-01	06
		2001-02	07
		2002-03	05
8	रसायन विज्ञान पुरुष	2003-04	05
		2004-05	00
9	अर्थशास्त्र पुरुष	2001-02 रिब्यू	63
10	गणित पुरुष	2002-03	39
		83-84 To 2001-02	रिब्यू
11	शारीरिक शिक्षक पुरुष	2003-04	27
		2004-05	02
		2005-06	00
		2006-07	12
		2007-08	09
12	शा.शि.महिला	2004-05	04
		2007-08	02

वरिष्ठ अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षक(द्वितीय वेतन श्रृंखला):-

समस्त मण्डलों में वरिष्ठ अध्यापकों वर्ष 2005-06 तक की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है आगामी वर्षों की डीपीसी सम्पन्न करवाने हेतु समस्त मण्डल अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

10 विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु पत्र दिनांक 01.08.2008 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 5590 पद एवं 35 बैकलॉग पदों को भरे जाने हेतु अर्थना प्रेषित की गई, उक्त पदों को भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 10.08.2008 को विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को 62 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति हेतु अर्थना भिजवाने पर आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

शारीरिक शिक्षक (तृतीय वेतन श्रृंखला) :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग को 405 पदों (समस्त पद बैकलॉग)पर नियुक्ति हेतु अर्थना भिजवाने पर आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

अध्यापक(तृतीय श्रेणी) के रिक्त पदों की पूर्ति:-

अध्यापक ग्रेड-III के रिक्त पदों पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा 2122 शिक्षक उपलब्ध करवाए जाने पर रिक्त पदों की पूर्ति की गई तथा शेष 2660 रिक्त पदों पर अध्यापक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।

डी.पी.सी.

जिला शिक्षा अधिकारी एवं उच्च पदों पर:

वर्ष 2009-10 तक की डी.पी.सी. सम्पन्न करवाई जा चुकी है।

प्रधानाचार्य एवं समकक्ष:-

राज्य सरकार की स्वीकृति से वर्ष 2009-10 में प्रधानाचार्य के कुल 1135 पदों पर पातेय वेतन में पदस्थापित किया गया। प्रधानाचार्य की 2002-03 की डीपीसी दिनांक 11.09.2009 को सम्पन्न की जा चुकी है, डीपीसी में चयनित अधिकारियों के पदस्थापन आदेश जारी किये जा रहे हैं। आगामी वर्षों की डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रधानाध्यापक(मावि)

राज्य सरकार द्वारा प्रधानाध्यापक के पदों पर पातेय वेतन में (वर्ष 2009-10) पदस्थापन की स्वीकृति दिये जाने पर 2305 प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन किया जा चुका है। आगामी वर्षों की डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

12. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शिक्षण व्यवस्था:-

वर्ष 2008-09 में विद्यार्थी मित्र योजना राज्य सरकार के पत्र दिनांक:02.06.2008 के अनुसार विद्यालयों में आवंटित पदों पर विद्यार्थीमित्र प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित आशार्थियों को भी लगाये जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अब तक कुल 10263 विद्यार्थीमित्र लगाये जा चुके हैं।

13. पेंशन प्रकरणों की स्थिति :

विभाग में सत्र 2008-09 में 2295 पेंशन प्रकरण निपटाये गये तथा शेष 706 प्रकरण प्रक्रियाधीन है, जिनके निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

14. स्थिरीकरण प्रकरण :

विभाग द्वारा सत्र 2008-09 में प्राप्त स्थिरीकरण प्रकरणों में से 77183 स्थिरीकरण प्रकरणों का निस्तारण किया गया शेष 12591 स्थिरीकरण के प्रकरण विभाग स्तर पर त्वरित गति से निस्तारित कराये जा रहे हैं। मण्डल/ जिला शिक्षा अधिकारियों को समय-समय पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये।

15. वार्षिक कार्य मूल्यांकन :

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लोकसेवकों के सेवा अभिलेख का अभिन्न अंग हैं जिससे सेवा सम्बन्धी मानक पदोन्नति, विभागीय चयन, वरिष्ठ वेतनमान एवं स्थिरीकरण आदि मामले निर्णित होते हैं। विभाग द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित कलैण्डर के अनुसार लोकसेवकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरवाए जाकर इन प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित समीक्षक अधिकारियों द्वारा समीक्षा करवाई जाती है। समीक्षोपरान्त इन लोक सेवकों के प्रतिवेदन सक्षम कार्यालयों में विधिवत संधारित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों हेतु वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार इन संवर्गों के लोक सेवकों से वर्ष 2005-06 एवं उसके पश्चात् संशोधित प्रपत्र में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरवाये जा रहे हैं।

16. **विभागीय जांच :**
विभाग द्वारा विभागीय जांच प्रकरणों के निस्तारण में त्वरित गति से लम्बित जांच प्रकरणों को निपटाने की कार्यवाही की गई। निदेशालय द्वारा वर्ष 2008-09 में सीसीए-16 के 78, सीसीए-17 के 622, निलम्बन के 32, प्राथमिक जांच के 250 एवं 56 अपील प्रकरण निपटाये गये।
17. **न्यायालय प्रकरण :**
अधिकारियों, शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है। न्यायालय में दायरवादों को निपटाने के लिए निदेशालय स्तर पर गठित विधि अनुभाग द्वारा राज्य सरकार की मदद से त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की जाती है। न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की अनुपालना राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा की जाती है।
18. **स्वैच्छिक अनुपस्थिति :**
लोक सेवकों द्वारा एक माह से अधिक स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर उनके कारणों की विभाग द्वारा जांच करवाकर प्रकरण निपटाये जाते हैं।
19. **संसद एवं विधान सभा प्रश्न :**
विभाग में प्राप्त होने वाले लोक सभा/ राज्य सभा व विधानसभा से सम्बन्धित तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के प्रत्युत्तर राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर भिजवाये गये। विभाग के अधीनस्थ सभी मण्डल/ जिला कार्यालयों को प्रश्नों/ प्रस्तावों के उत्तर त्वरित गति से भिजवाने के निर्देश दिये गये।
20. **आन्तरिक जांचदल के प्रकरण**
आन्तरिक जांचदलों द्वारा विद्यालयों एवं कार्यालयों का समय-समय पर विशेष जांच कार्य सम्पन्न किया गया। दिसम्बर, 2008 तक 79148 प्रकरणों में से 377 आक्षेपों का निस्तारण किया गया एवं इस दिनांक को 78771 आक्षेप बकाया हैं इनके निस्तारण के लिए माह फरवरी, 2009 से विशेष अभियान पूरे राज्य में चलाया जाना प्रस्तावित है।
21. **चोरी/गबन :**
वित्तीय वर्ष 2008-09 के प्रारम्भ से आज दिनांक तक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों/ उमवि/ माध्यमिक विद्यालयों में चोरी की घटनाओं के कुल 32 प्रकरण तथा गबन के 45 प्रकरण विचाराधीन है।
- ए.जी.में दर्ज प्रकरणों में से कुल चोरी के 04 प्रकरण जिसके अन्तर्गत राशि रुपये 57,135.50 तथा 03 गबन प्रकरण जिसकी राशि रुपये 45,454.79 का निस्तारण किया गया।
- विभागीय स्तर पर दर्ज प्रकरणों में चोरी के 23 प्रकरण जिसके अन्तर्गत राशि रुपये 77,689.20 तथा गबन के 81 प्रकरण जिसके अन्तर्गत राशि रुपये 5,58,901.35 का निस्तारण किया गया।
22. **जन-अभाव अभियोग निराकरण :**
जन अभाव अभियोग निराकरण के अन्तर्गत आरपीजी के 07, लोकायुक्त के 11, मुख्यमंत्री सचिवालय के 101, ए.सी.डी. के 05, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त 366 एवं जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के 05 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

23. **वाहनों का उपयोग**
शासन सचिव स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज0, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 21(14)साप्र/01/92 दिनांक 15.01.02 द्वारा वाहनों के उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना में सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित पूल व्यवस्था के अनुसार विभागीय वाहनों का उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है तथा विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागीय स्तर पर भी विभागीय वाहनों का पूल निदेशालय स्तर पर बना दिया गया है।
24. **यात्रा एवं चिकित्सा भत्तों का भुगतान :**
शिक्षा विभाग में कार्यरत लोकसेवकों के यात्रा एवं चिकित्सा भत्ते का भुगतान करवाने हेतु निदेशालय स्तर पर उपलब्ध बचत में से समय-समय पर बजट की धनराशि प्रदान की गई।
25. **बकाया अवकाश प्रकरण :**
लोकसेवकों के 120 दिन /अधिक अवधि के अवकाश प्रकरण निदेशालय स्तर पर निपटाये गये। जिला/मण्डल अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रकरणों को निस्तारण हेतु निदेशालय से दिनांक 18.04.2002 को परिपत्र जारी कर सुदृढ कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया और अध्ययन अवकाश प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
26. **छात्रवृत्ति का भुगतान :**
विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन में सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों का भुगतान विद्यार्थियों को संस्था प्रधानों द्वारा 15 अगस्त, 14 नवम्बर, 26 जनवरी एवं 14 अप्रैल को किया जाता है।
27. **विद्यालय एवं कार्यालयों का परिवीक्षण**
निदेशालय मण्डल अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर विद्यालयों एवं कार्यालयों का परिवीक्षण कर प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को प्रेषित किये गये एवं कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उनकी अनुपालना की गई। मण्डल/ जिला शिक्षा अधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार परिवीक्षण कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये। वर्ष 2008-09 में जिला शिक्षा अधिकारियों/ उप निदेशकों द्वारा अब तक 1292 विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश जारी किये गये।

